न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद सीरवी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 47/2019

प्रार्थीगण

1. रामाराम पुत्र नगाराम
2. बगताराम पुत्र नगाराम
   जाति चौधरी निवासी खाखरलाई तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. देदाराम पुत्र तिलोकाराम
2. देवाराम पुत्र तिलोकाराम
3. मदरूपाराम पुत्र तिलोकाराम
4. सोनाराम पुत्र तिलोकाराम
5. हडमानाराम पुत्र तिलोकाराम
   जाति चौधरी निवासी खाखरलाई तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
6. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 18-11-2019

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल श्रीमाली की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 सरहद मौजा खाखरलाई पटवार मण्डल मेली तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 410/259 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 413/261 रकबा 1.1635, खसरा नम्बर 415/255 रकबा 2. 4787 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417/256 रकबा 0.2276 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मौजा खाखरलाई पटवार मण्डल मेली तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 410/259 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 413/261 रकबा 1.1635, खसरा नम्बर 415/255 रकबा 2.4787 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417/256 रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.11.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद सीरवी)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2019.12.10 19:55:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: